

साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 104 लोग गिरफ्तार

‘आपरेशन आक्टोपस’ के तहत हैदराबाद पुलिस ने की कार्रवाई

जनसत्ता ब्यूरो
दिल्ली, 24 फरवरी।

हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को देश भर में साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 16 राज्यों से 104 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि आरोपियों को ‘आपरेशन आक्टोपस’ के तहत पकड़ा गया है तथा ये सभी देश भर में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के 1,055 मामलों से जुड़े हैं।

पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इन मामलों में लगभग 127 करोड़ रुपए की कुल धोखाधड़ी की राशि शामिल है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों में 86 ‘म्यूल’ खाताधारक (जिनके खातों का इस्तेमाल पैसों के लेन-देन के

वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार

जनसत्ता ब्यूरो

वरिष्ठ नौकरशाह निधि चिब्बर को मंगलवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) की 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी छिब्बर वर्तमान में नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार ने छिब्बर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दे दी है। नीति आयोग के निवर्तमान सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया।

जाम में फंसी न्यायाधीशों की गाड़ियां हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को तलब किया

चंडीगढ़, 24 फरवरी (ब्यूरो)।

चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों के कारण सुबह भारी जाम लग गया। इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की गाड़ियां फंस गईं। इस पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया। चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत सिंह हुड्डा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।

मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही से पहले कांग्रेस के विधायकों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने नौकरियों, किसानों समेत अन्य मुद्दों को लेकर पैदल मार्च निकाला। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। सुबह 9:55 बजे हाई कोर्ट की ओर जाने वाले चौराहे पर भारी जाम लगा इसमें हाई कोर्ट जा रहे कुछ न्यायाधीश भी फंस गए। न्यायाधीश संदीप मौदगिल ने रिकार्ड में रखे गए एक नोट में कहा

इन मामलों में लगभग 127 करोड़ रुपए की कुल धोखाधड़ी की राशि शामिल है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों में 86 ‘म्यूल’ खाताधारक और 17 खातों का इंतजाम करने वाले बिचौलिए शामिल हैं।

लिए हुआ) और 17 खातों का इंतजाम करने वाले बिचौलिए शामिल हैं। ये बिचौलिए खाते प्राप्त करने और धोखाधड़ी का पैसा मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने का काम करते थे। इनके अलावा, एक निजी बैंक के एक प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने जालसाजों की मदद की थी।

हाल के दिनों में निवेश के नाम पर ठगी, ट्रेडिंग धोखाधड़ी और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे मामलों में तेजी आई। पुलिस आयुक्त ने बताया

महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई, 24 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र विधानसभा के कांग्रेस विधायक साजिद खान पटान को बिश्नोई गिरोह के एक सहयोगी से जान से मारने की धमकी और 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। यह खुलासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेटीवार ने मंगलवार को राज्य सदन में किया। उन्होंने पटान को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। वडेटीवार की मांग के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आ'न किया।

वडेटीवार ने कहा कि अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक पटान को 17 फरवरी को अपराह्न करीब 3:30 बजे एक अंतरराष्ट्रीय

कि इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए 32 विशेष टीमें गठित की गईं और 10 दिनों की अवधि में 16 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर इस अभियान को अंजाम दिया गया।

इन टीमों को महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और ओड़ीशा में स्थित साइबर अपराध के हाटस्पाट पर एक साथ तैनात किया गया था। पुलिस ने इनके पास से 204 मोबाइल फोन, 141 सिम कार्ड, 152 बैंक पासबुक, 234 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 26 लैपटॉप, 56 मुहरें और 36 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि ‘आपरेशन आक्टोपस’ एक निरंतर चलने वाली पहल है और इन सिंडिकेट के शीर्ष स्तर के लोगों को पकड़ने के लिए जांच जारी है।

महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी

नंबर से फोन काल आया, जिसमें काल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह से जुड़े शुभम लोनकर के रूप में पहचान बताते हुए 10 करोड़ रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बताया कि फोन काल करने वाले ने यह भी चेतावनी दी कि पुलिस को सूचित करने से केवल अस्थायी सुरक्षा मिलेगी और गिरोह बाद में भी उन्हें निशाना बनाएगा।

बिश्नोई गिरोह पर मुंबई में कुछ सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का संदेह है, जिनमें अक्तूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बालीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाना शामिल है।

जाम में फंसी न्यायाधीशों की गाड़ियां हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को तलब किया

में कामयाब हो गए थे। यह स्थिति पहली नजर में बड़ी लापरवाही है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। दोपहर बाद हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी के साथ एसएसपी (पुलिस) कंवरदीप कौर व एसएसपी (यातायात) सुमेर प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

अदालत में चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने कहा कि यह जाम तब लगा जब 10 से 12 विपक्षी विधायकों ने हाई कोर्ट गोल चक्कर से 150 मीटर दूर से हरियाणा विधानसभा की ओर पैदल चलने का फैसला किया। वकील ने यह भी बताया कि समय-समय पर बम की धमकियों के कारण होने वाली तलाशी और सुरक्षा जांच की वजह से राहगीरों और गाड़ियों को निकलने में ज्यादा समय लगा। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील व डीजीपी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा जमीन अतिक्रमण मामले में दिया आदेश रेलवे की 29 एकड़ जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की करीब 29 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जायमाल्या बागची की पीठ ने मंगलवार को 55 मिनट तक चली सुनवाई के बाद फैसला देते हुए हर

पहलू पर गौर किया। इंदिरा नगर, बनभूलपुरा, छोटी लाइन, गफूर बस्ती और लाइन नंबर इलाके में अतिक्रमण का यह मुद्दा लंबे समय से विवाद

पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के किनारे पैदा होने वाले बागवानी कचरे को ठिकाने लगाने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सचिवालय नर्सरी में पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र विकसित किया है जहां पर इस कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। इस संयंत्र में हरित कचरे से खाद बनाने का काम भी किया जाएगा।

इस खाद को दोबारा हरित कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मंगलवार को इस संयंत्र का लोकार्पण किया।

रेलवे में यात्री सुरक्षा को मजबूत करेगा कृत्रिम मेधा आधारित निगरानी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे में कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित निगरानी को बढ़ाया जाएगा। साथ ही रेलवे ढांचे की सुरक्षा सुदृढ़ करने और नशा तस्करी रोकने की दिशा में काम होगा। मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक सोनाली मिश्रा की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यात्रियों और रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समन्वित कार्ययोजना और प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार करने पर व्यापक चर्चा हुई। उभरती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह माना गया कि व्यापक भौगोलिक विस्तार, भारी यात्री आवागमन और खुली संरचना के कारण भारतीय रेलवे विभिन्न प्रकार के खतरों, संगठित अपराध, नशीले पदार्थों



तिरोध महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन करते कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी के विधायक।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में प्रदूषित नदियों पर शुरू किया गया स्वतः संज्ञान का मामला बंद कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कई समान मामलों के कारण आदेशों की निरंतरता प्रभावित हो रही थी। पीठ ने कहा कि यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर पहले स्वतः संज्ञान लिया गया था। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में गरिमा के साथ जीना अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि अब इस मामले की बारीकी से निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक ही विषय पर कई अलग-अलग अदालतों और मंचों पर मामले लंबित होने के कारण आदेशों की निरंतरता

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा जमीन अतिक्रमण मामले में दिया आदेश रेलवे की 29 एकड़ जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह जमीन राज्य की है और उसे अधिकार है कि वह अपनी जमीन का उपयोग कैसे करे।

में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन राज्य की है और उसे अधिकार है कि वह अपनी जमीन का उपयोग कैसे करे। पीठ ने कहा कि प्रभावित होने वाले परिवारों की

पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 फरवरी।

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के किनारे पैदा होने वाले बागवानी कचरे को ठिकाने लगाने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सचिवालय नर्सरी में पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र विकसित किया है जहां पर इस कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। इस संयंत्र में हरित कचरे से खाद बनाने का काम भी किया जाएगा।

इस खाद को दोबारा हरित कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मंगलवार को इस संयंत्र का लोकार्पण किया।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यात्रियों और रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए समन्वित कार्ययोजना और प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार करने पर व्यापक चर्चा हुई।

की तस्करी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और संभावित विध्वंसक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। इस दौरान एफआरएस आधारित सीसीटीवी, कृत्रिम मेधा संचालित वीडियो एनालिटिक्स और ड्रोन निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय निगरानी और रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने की रूढ़रेखा तैयार की गई। आपात स्थितियों से निपटने के लिए नियमित माक ड्रिल, परिदृश्य आधारित प्रशिक्षण, भीड़ प्रबंधन और त्वरित एफआईआर पंजीकरण पर भी जोर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित नदियों पर स्वतः संज्ञान का मामला बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही विषय पर कई अलग-अलग अदालतों और मंचों पर मामले लंबित होने के कारण आदेशों की निरंतरता प्रभावित हो रही थी।

प्रभावित हो रही थी। सरकारें इस अधिकार की रक्षा करने और नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बाध्य हैं।

पीठ ने कहा कि अब एनजीटी इस पूरे मामले को फिर से खोले और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अनुपालन की नियमित निगरानी करे। अदालत ने कहा कि एनजीटी के पास तकनीकी विशेषज्ञता है, जो जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए उपयुक्त है। संबंधित पक्ष एनजीटी के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रपट अब ट्रिब्यूनल को देनी होगी।

प्रभावित हो रही थी। सरकारें इस अधिकार की रक्षा करने और नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए बाध्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा जमीन अतिक्रमण मामले में दिया आदेश रेलवे की 29 एकड़ जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त

पहचान की जाए। बनभूलपुरा में पुनर्वास केंद्र बनाए जाएं, गरीब व अल्प आय वर्ग वाले लोगों की सर्वे के तहत पहचान की जाए कि उन्हें पुनर्वास के तहत रहने के लिए घर दिए जा सकते हैं या नहीं। साथ ही प्रभावित लोगों को अगले 6 महीने तक दो-दो हजार रुपए दिए जाएं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उनसे वहीं रहने के लिए क्यों कहा जाए, जबकि बेहतर सुविधाओं वाली कोई दूसरी जगह हो सकती है।

किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ खाली जगह की जरूरत होती है। वहां रहने वाले लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को लाइन कहा बिछानी चाहिए।

प्रवेश वर्मा ने बताया कि इस पहल के तहत छह हरित कचरा संयंत्र तैयार किए गए हैं, जबकि अगले चरण में छह और बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में हर जिले में कम से कम एक ऐसा संयंत्र स्थापित किया जाए।

स्थानीय स्तर पर ही कुशल प्रबंधन हो सके। इन संयंत्रों में तैयार होने वाली खाद का इस्तेमाल केंद्रीय वर्ज, सड़क किनारे पौधारोपण और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले उद्यानों के रखरखाव में किया जाएगा। यह व्यवस्था न केवल कचरे के अनियंत्रित

गोदावरी का जलस्तर घटने से जलधारा मार्ग पर सोना ढूंढने उमड़े लोग

छत्रपति संभाजीनगर, 24 फरवरी (भाषा)।

नदी का जलस्तर कम होना अधिकतर लोगों के लिए सुखे की आशंका होती है लेकिन महाराष्ट्र के पैठण शहर के कई निवासियों के लिए गोदावरी का जलस्तर घटना नदी किनारे जाकर सोना ढूंढने का समय होता है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के इस पवित्र शहर में समीपवर्ती गांवों के लोग सोमवार को छलनी और जाल लेकर गोदावरी नदी के तट प उमड़ पड़े और जलस्तर कम होने पर बहुमूल्य वस्तुओं की तलाश करने लगे।

गोदावरी नदी एक ऐसा स्थान है जहां शोक संतप्त परिजन अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। इस दौरान वे मृतक से संबंधित आभूषण, सिक्के एवं अन्य बहुमूल्य सामान नदी में प्रवाहित कर देते हैं। कड़कती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे एकत्र हुए और कमर तक के गहरे पानी में उतरे तथा खजाने और कीमती सामानों की तलाश की।

भारत, इजराइल में एफटीए के लिए वार्ता का पहला दौर शुरू

नई दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा)।

भारत और इजराइल ने वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत का पहला दौर शुरू कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। पिछले साल नवंबर में दोनों देशों ने समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों (टोओआर) पर हस्ताक्षर किए थे।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीपी) के लिए बातचीत का पहला दौर 23 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुआ और यह 26 फरवरी तक जारी रहेगा।’ इस तरह के समझौतों में दोनों पक्ष आपस में व्यापार वाली अधिकतम वस्तुओं पर आयात शुल्क को काफी कम कर देते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। बयान में कहा गया कि इस दौर के दौरान दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे।

इन सत्रों में मुक्त व्यापार समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा होगी। इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादू कर रहे हैं, जबकि इजराइली पक्ष का नेतृत्व वरिष्ठ निदेशक यिफात अलोन पेरेल कर रही हैं। यह बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच आठ दौर की बातचीत हुई थी।

पिछले साल दोनों देशों ने समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे।

अधिकतम वस्तुओं पर आयात शुल्क को काफी कम कर देते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। बयान में कहा गया कि इस दौर के दौरान दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे।

इन सत्रों में मुक्त व्यापार समझौते के कई पहलुओं पर चर्चा होगी। इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादू कर रहे हैं, जबकि इजराइली पक्ष का नेतृत्व वरिष्ठ निदेशक यिफात अलोन पेरेल कर रही हैं। यह बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच आठ दौर की बातचीत हुई थी।

प्रवेश वर्मा ने बताया कि इस पहल के तहत छह हरित कचरा संयंत्र तैयार किए गए हैं, जबकि अगले चरण में छह और बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में हर जिले में कम से कम एक ऐसा संयंत्र स्थापित किया जाए।

निस्तारण को रोकेंगे, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधारेगी और दिल्ली की सड़कों को अधिक हरित और आकर्षक बनाएगी। मंत्री ने बताया कि इस तरह के अपने आप में पहले संयंत्र की शुरुआत दिल्ली भर के आरडब्ल्यूए, स्कूलों और स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही चिंता का समाधान भी है। पहले जब भी तृपान, छंटाई या रखरखाव के कारण पेड़ों की टहनियां, झाड़ियां या हरित कचरा गिरता था, तो वह कई दिनों तक सड़कों के किनारे या खाली जगहों पर पड़ा रहता था। इससे सड़ांध, दुर्गंध और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए और स्कूल लगातार एक व्यवस्थित तंत्र की मांग कर रहे थे।